In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion from Departmental Library Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900- 63200) with 10 years of regular service in the grade and possessing Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union terrorities or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutes : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ;or (ii) with six years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay level -5 of the pay matrix (Rs. 29200–92300) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7).	**Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:-** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director Administration, in charge of Medical Education Section, Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College -Member. **Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director Administration, in charge of Medical Education Section, Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/3/2005-MH II(RR)]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 148 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट) भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (ख) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100/-) या समतुल्य में पदों पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-) या समतुल्य में पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों : **आवश्यक :** (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैकटेरियोलॉजी या माइक्रोबायोलोजी में स्नातकोत्तर की डिग्री । (II) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान या अस्पताल या जन स्वास्थ्य या नैदानिक प्रयोगशाला में माइक्रोबायोलोजी के क्षेत्र में तीन वर्षों का व्यावसायिक अनुभव । **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि(अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि(अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.11018/50/2005-आरआर]

प्रेम नारायण,अवर सचिव

New Delhi, the 7th October, 2020

G.S.R. 148 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Assistant Microbiologist) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession

the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Microbiologist, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Assistant Microbiologist (Group-'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Ex-servicemen and Other Special Categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Microbiologist	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial	Level-10 (56100-177500/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short- term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including short–term contract): Officers under the Central Government or State Government or union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi- Government or Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the posts in level-8(Rs.47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) three years regular service in the posts in level-7(Rs. 44900 -142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (I) Masters degree in Bacteriology or Microbiology of recognised University or Institute. (II) With three years professional experience in the field of Microbiology in a government recognised Medical Institute or Hospital or public health or Clinical Laboratory. **Note** : Period of deputation (Including short–term contract) including period of deputation (Including short–term contract) in another ex – cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central government shall not ordinarily exceeding three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short – term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

[F. No. A.11018/50/2005-RR]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में डिस्पैच राइडर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-